न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

त्रावली सं. 83/2015/136 एलआर

1. मालसिंह पुत्र बेरीसाल सिंह
2. गिरधारी सिंह पुत्र पाबूदानसिंह (मृत)
   2/1 गजेन्द्रसिंह
   2/2 मनोहरसिंह
   2/3 भवानीसिंह
   2/4 रतनसिंह (फौत)
   2/4/1 अनिता कंवर पत्नी स्व. रतनसिंह
   2/4/2 चन्द्रवर्द्धनसिंह पुत्र स्व. रतनसिंह
   2/4/3 दिव्या पुत्री स्व. रतनसिंह
   2/5 सुगनकंवर पुत्री स्व. गिरधारीसिंह
   2/6 उगम कंवर पत्नी स्व. गिरधारी सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण गोगावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
—वादी/प्रार्थीगण

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
2. भंवरकंवर पत्नी भोपाल सिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम गोगावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. शार्दुल सिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोगावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. राजेन्द्रसिंह
5. आशुसिंह
6. आनन्द सिंह
7. भगवान सिंह
8. ईश्वर सिंह
9. घनश्याम सिंह
10. नन्दू सिंह

(4 से 10) पुत्रगण स्व. नारायणसिंह

11. पप्पूसिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह
12. दीप कंवर पत्नी स्व. नारायण सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम गोगावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
—प्रतिवादी

<u>आवेदन बाबत दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड</u>

उपस्थिति—
1. श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादी/प्रार्थी की ओर से
2. श्री शंकरलाल वकील अप्रार्थी सं. 2 ता 12 की ओर से

निर्णय   दिनांक— 18.04.2017

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

1. वाद/आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदकगण व अनावेदकगण सं. 2 ता 12 के पूर्वज की खातेदारी अधिकार उपयोग की भूमि खसरा नं0 169 रकबा 0.08 है0 गैर मुमकिन श्मशान ग्राम गोगावास प.मं. मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नं. 107 रकबा 6 बिस्वा थे। उक्त भूमि पूर्वजों के समय से श्मशान के काम में आ रही है जो अभी कच्ची मिट्टी की डोल से सीमा बनी हुई है जिसको चारों ओर पक्की दीवार बनाना आवश्यक हो गया है। भूमि मौके पर पूर्व खसरा नंबर 107 रकबा 6 बिस्वा मौजूद है किन्तु नये भू प्रबन्ध में इस भूमि के नये नंबर 169 दिये गये है उसको पुराने नक्शे के अनुसार नया नहीं बनाकर उसका रकबा कम अंकित अर्थात् 0.08 है. अंकित कर दिया गया है जो 128 मीटर कम अंकित कर दी गई है जो सहवन से या राजस्व अधिकारियों की गलती से अंकित की गई है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में है। आवेदकगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 12 इस भूमि के चारों ओर पर्यावरण की दृष्टि से पुख्ता दीवार बनाना चाहते है इस कारण पुख्ता निर्माण के लिए जो भूमि सहवन से अंकित की गई है उसे दुरूस्त करवाना आवश्यक हुआ है। पूर्व में आवेदकगण ने तहसीलदार, दांतारामगढ के यहां आवेदन पेश किया गया था जिस पर तहसीलदार जी के आदेश की पालना में गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का द्वारा सीमा ज्ञान व पूर्व नक्शे व वर्तमान नक्शे की स्थिति में परिवर्तन माना है एवं पूर्व रूप से नपती कर रिपोर्ट दिनांक 19.02.2015 को पेश की है जिससे स्पष्ट है कि नक्शे में परिवर्तन व 128 मीटर भूमि कम अंकन सहवन से किया गया है। सहवन से हुई भूल सुधार हेतु आवेदकगण ने तहसीलदार जी के यहां आवेदन पेश किया, उन्होंने मौके की वस्तुस्थिति गिरदावर व पटवारी हल्का से पूर्ण नपती करवाकर दिनांक 15.02.2015 को प्राप्त कर ली किन्तु दुरूस्ती करने के उन्हें अधिकार नहीं होने के कारण श्रीमान् के यहां आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ है। दिनांक 28.10.2015 को आवेदकगण ने श्मशान के चारों ओर पुख्ता दीवार बनाने हेतु मौके पर गये तो पड़ौसियों ने रिकार्ड दुरूस्त करवाकर दीवार बनाने हेतु कहा। राज्य सरकार भूमिधारी है इस कारण प्रतिनिधि तहसीलदार पक्षकार बनाया गया है तथा खातेदार भोपाल सिंह एवं नारायणसिंह का स्वर्गवास हो चुका है इसके कारण उनके वारिसान को अनावेदक पक्षकार बनाया गया है। हांलाकि वे इस आवेदन से सहमत है किन्तु आवेदन पेश करने हेतु नहीं आ सके है इस कारण उन्हें प्रतिवादी पक्षकार बनायया गया हैं। भूमि खसरा नंबर 169 ग्राम गोगावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है एवं पक्षकारान भी इसी क्षेत्र के है तथा धारा 136 राज. लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट के आवेदन की सुनवायी के श्रीमान् को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि भूमि खसरा नंबर 169 रकबा 0.08 है0 गै.मु. श्मशान तन गोगावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जिसके पुराने खसरा नं. 107 रकबा 6 बिस्वा से 138 मीटर कम अंकित किया गया है एवं नक्शा ट्रेश में भी गलत दिखाया गया है उसे दुरूस्त किया जाकर सही रकबा अंकित करते हुए नक्शा ट्रेश में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक सं. 2 ता 12 की ओर से वकील श्री शंकरलाल ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश नहीं करके बहस के दौरान समुचित कथन बताने का निवेदन किया गया। आवेदक सं. 2 की मृत्यु होने तथा उनके पुत्र रतनसिंह की भी मृत्यु होने

पर का.मुकाम आवेदन पेश किये जाने पर वकील अप्रार्थीगण ने अनापति व्यक्त किये जाने पर आवेदन कायम मुकाम स्वीकार किया गया। संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार, दांतारामगढ से मौका एवं रिकार्ड के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ ने पत्रांक भूअ/16/2209 दिनांक 01.08.2016 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की गई।

3. हमने प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पुराने नक्शे के अनुसार नये नक्शे में दुरूस्ती का निवेदन किया जिस पर वकील अप्रार्थीगण ने अनापत्ति व्यक्त की गई।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम गोगावास प..मं. मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069-72 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी ख.नं. 169 रकबा 0.08 है0 गै.मु. श्मशान भोपालसिंह मालसिंह पि. बेरीसालसिंह हि. 1/2 नारायणसिंह पुत्र बालूसिंह हि. 1/4 गिरधारीसिंह पुत्र पाबूदानसिंह हि. 1/4 कौम राजपूत सा.देह दर्ज है। तहसीलदार, दांतारामगढ के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार स्थिति इस प्रकार से है कि ग्राम गोगावास के आराजी ख.नं. 169 रकबा 0.08 है. गै. मु. श्मशान व उक्त ख.नं. पुराने सैटिलमेंट के 107 रकबा 6 बिस्वा से बने है। उक्त भूमि ख. नं. 169 श्मशान के काम आ रही है। पुराने ख.नं. 107 रकबा 6 बिस्वा के नये ख.नं. 169 रकबा 0.08 है. बने है जो सही है परन्तु गत नक्शा से मिलाने करने पर गत नक्शे के मुकाबले वर्तमान नक्शा छोटा है उक्त नक्शा दक्षिण साईड में 2 मीटर पूर्व साईड में 8 मीटर कुल 24 मीटर में ख.नं. 169 के चारो ओर दीवार बनाना चाहते है। ख.नं. 169 की दक्षिणी सीमा के सहारे नक्शे में मद 3 के अनुसार नक्शा बढाये जाये तो ख.नं. का रकबा जमाबंदी अनुसार 0.08 है0 हो जायेगा जो जमाबंदी व नक्शा पुराने अनुसार सही होगा इसमें रकबे में कमी बेशी नही होगी। नक्शे के सुधार से रकबा में कोई अंतर नहीं होगा। अतः तहसीलदार, दांतारामगढ की अभिशंसा अनुसार ग्राम गोगावास प.मं. मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसरा नं. 169 रकबा 0.08 है0 का पुराने नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार तहसीलदार, दांतारामगढ को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 18.04.2017 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर-यादव)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner